इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2011—आषाढ़ 24, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2011

क्र. ई-5-808-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस., कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 24 से 29 जून 2011 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री अमरसिंह बघेल, अपर कलेक्टर, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011

(5) अवकाश काल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. ई-5-370-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 27 से 29 जून 2011 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में सुदेश कुमार, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुदेश कुमार, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-290-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एम. के. राय, आयएएस., अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल, को दिनांक 27 से 30 जून 2011 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-194-2011-5-एक (ए).—श्री दीपक खाण्डेकर, भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार सौपा जाता है.

क्र. ई-1-194-2011-5-एक.—श्री अनुराग जैन, भाप्रसे (1989), सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाओं का विभाग के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2011

क्र. ई-1-206-2011-5-एक .—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री जॉन किंग्सली ए. आर. (2004), कलेक्टर, हरदा.	कलेक्टर, शिवपुरी
2.	श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे (2006), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास खरगोन).	कलेक्टर, हरदा

(2) उक्त आदेश श्री आर. के. पाठक, भाप्रसे (1996), कलेक्टर, शिवपुरी के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून 2011 अपरान्ह से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 जुलाई 2011 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई-5-522-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को दिनांक 30 जून से 12 जुलाई 2011 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2011

क्र. ई-1-308-2011-5-एक.—श्री नंद कुमारम, भाप्रसे (2008), सहायक कलेक्टर, जबलपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई, जिला सागर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-224-2011-5-एक.—डॉ. जे.टी. एक्का, भाप्रसे (1986), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार सौपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. जे. टी. एक्का द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) श्रीमती सूरज डामोर, भाप्रसे (1994), आयुक्त-सह-संचालक (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2011

क्र. ई-5-40-आयएएस.-लीव-5-एक.—(1) श्री अवनि वैश्य, आयएएस., मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2011 द्वारा दिनांक 29 जून से 8 जुलाई 2011 तक 10 दिवस एवं दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ते हुए एक्स-इंडिया अवकाश स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री अवनि वैश्य की अवकाश की अवधि में श्री ओ. पी. रावत, आयएएस., उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका उपाध्याय, सचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. ई-5-522-आयएएस.-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जून 2011 द्वारा दिनांक 30 जून से 12 जुलाई 2011 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. श्री श्रीवास्तव की उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, भोपाल संभाग का प्रभार श्री निकुंज श्रीवास्तव, कलेक्टर भोपाल को तथा कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग का प्रभार श्री निशांत वरवड़े, कलेक्टर, होशंगाबाद को सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. ई-1-219-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री डी. के. सामन्तरे (1982), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	-
2	श्री एस. आर. मोहन्ती (1982), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय.	सचिव मध्यप्रदेश शासन
3	श्री पंकज अग्रवाल (1992), अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.	आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	-
4	श्री के. सी. गुप्ता (1992), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम.	कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा	-
5	श्री मनीष रस्तोगी (1994), आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग.	अध्यक्ष-सह प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.	संभागीय कमिश्नर

(2) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप खरे, भाप्रसे (1992), कमिश्नर, शहडोल संभाग एवं कमिश्नर, रीवा संभाग केवल कमिश्नर, रीवा संभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-192-2011-5-एक, दिनांक 12 जून 2011, जिसके द्वारा श्री अजय तिर्की, भाप्रसे (1987), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त को कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा पदस्थ किया गया है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 22 जून 2011

क्र. एफ 03-43-2011-दो-ए(3).—इस विभाग की समसंख्यक विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम दिनांक 9 जून 2011 में आंशिक निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

"बुधवार दिनांक 27 जुलाई, 2011 को आयोजित विभागीय परीक्षा के तृतीय प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना-सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये, जो कि प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित है.

के स्थान पर

अब यह प्रश्नपत्र सोमवार दिनांक 8 अगस्त, 2011 को प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सहित प्रदेश के समस्त संभागीय आयुक्तों द्वारा आयोजित की जावेगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. एफ 1-55-2009-दो-ए-(3).—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र 46/1974) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री नियाज अहमद खान, आवंटन अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 22 जून 2011 से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगर निगम भोपाल सीमाक्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. एफ 1-55-2009-दो-ए-(3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल से प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 6th July 2011

No F-1-55-2009-II-A-(3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoints Shri Niyaz Ahmed Khan, Allotment Officer, Directorate of Estates, Bhopal as competent authority, with effect from the date 22nd June 2011 of his taking over charge for the purpose of the said Adhiniyam within the jurisdiction of Municipal Corporation, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AMBRISH SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ 1(ए) 61-2009-ब-2-दो.—श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे, तत्का. सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर को दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2010 तक कुल छ: दिवस एवं दिनांक 9 से 15 अगस्त 2010 तक सात दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) अवकाशकाल में श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे अवंकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2011

क्र. एफ 1-(ए) 58-2003-ब-2-दो.—श्री एल.सी. भारतीय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पु.मु. भोपाल को The Second Course of Phase IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाशकाल में श्री एल.सी. भारतीय, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल.सी. भारतीय, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्र. एफ 1(ए) 150-90-ब-2-दो.—श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, जेल महानिरीक्षक एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 26 मई से 6 जून 2011 तक कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही. माने, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न जेल महानिरीक्षक एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 253-88-ब-2-दो.—डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2011 तक, कुल चार दिवस के अर्जित अवकाश दिनांक 13, 14, 15 एवं 20, 21, 22 अगस्त 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) डॉ. गर्ग, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल, के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2011

क्र. एफ 1(बी) 154-10-बी-4-दो.— राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्न अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान 15,600—39,100+5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे :—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)
1	11	श्री राकेश कुमार पन्द्रो, म. नं. 1 टाईप 3 माधव विलास पैलेस, शिवपुरी म. प्र. पिनकोर्ड 473551.

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में "संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण" प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी.

3. नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

4. नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

7. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक ''बॉण्ड'' शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी, सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

8. नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2011

क्र. एफ. 7-18-07-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2007 द्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को साडा ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया था.

2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 द्वारा अध्यक्ष की पदावधि चार वर्ष निर्धारित की गई है. उक्त प्रावधानानुसार श्री कुशवाह की चार वर्ष की पदावधि दिनांक 16 अप्रैल 2011 को समाप्त होती है.

3. राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेग्नेट) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2011 से छः माह के लिए अर्थात् दिनांक 16 अक्टूबर 2011 तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. एफ. 11-2-2008-चौवन-2.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 11-2-2008-चौवन-2, दिनांक 15 जून 2011 द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी का गठन किया गया है. राज्य शासन कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव शीघ्र कराने हेतु श्री दाऊद अहमद खान, प्रभारी उप संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को चुनाव अधिकारी नामांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब-(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो ''मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1'' में, दिनांक 6 नवम्बर, 2009 प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7, 10, 20, 26.एवं 32 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अपर न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
''7.	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.	भिण्ड
10.	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.	छतरपुर
20	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, हरदा.	हरदा
26	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मण्डला.	मण्डला
32	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन.	रायसेन.''.

F. No. 1-1-88-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B (1), dated 24th October, 2009 which was published in the Madhya Pradesh, Gazette Part-I, dated 6th November, 2009 namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 7, 10, 20, 26, & 32 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
" 7.	1st Additional Sessions Judge, Bhind.	Bhind
10.	1st Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	Chhatarpur
20.	1st Additional Sessions Judge, Harda.	Harda
26	1st Additional Sessions Judge, Mandla.	Mandla
32.	1st Additional Sessions Judge, Raisen.	Raisen.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

फा. क्र. 1 (सी)3-08-इक्कीस-ब (दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जुलाई 2009 द्वारा नियुक्त श्री जानकीशरण तिवारी, जिला अभियोजन अधिकारी, सागर के कार्यकाल में उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 25 मार्च 2011 से उनकी पदस्थापना तक अथवा एक वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो, तक की अवधि के लिये अभिवृद्धि करता है.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2011

फा. क्र. 1 (सी)11-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री जानकीशरण तिवारी उप संचालक अभियोजन, जिला सागर को सागर जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2011

फा. क्र. 1 (बी)1-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2004 द्वारा श्री श्रवण कुमार खरे अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक फास्ट ट्रैक कोर्ट, टीकमगढ़ को नियुक्त किया गया था.

श्री श्रवण कुमार खरे, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक फास्ट ट्रेक कोर्ट, टीकमगढ़ के फास्ट ट्रेक न्यायालय समाप्त हो जाने के कारण श्री श्रवण कुमार खरे, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लो. अभि. की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह जाने के कारण विधि विभाग नियमावली के नियम 19 के अन्तर्गत एक माह का नोटिस दिया जाकर उनको पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

संशोधन

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब (एक)-10, दिनांक 20 मई 2011 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण), भाग-1 दिनांक 3 जून 2011 में प्रकाशित हुई थी, की पंक्ति क्रमांक 33 के कॉलम 2 में सुरेश कुमार रघुवंशी के स्थान पर सुरेश कुमार सूर्यवंशी पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश नायक, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्र. एफ. 2-24-2011-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-219-2011-5-एक, दिनांक 25 जून 2011 के अनुसरण में, श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. दुबे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ-3-118-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-118-2009-बत्तीस, दिनांक 12 अक्टूबर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित जावरा विकास योजना, 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करता है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम रोजाना	406, 410/1, 410/3, 411/1, 411/2, 412/2, 412/3	2.416	कृषि	आवासीय
	बामनखेड़ी	1/1, 22	1.694	कृषि	आवासीय
			योग . . 4.110		

(2) उपरोक्त उपांतरण जावरा विकास योजना-2011 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2011

क्र. एफ-3-178-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-178-2010-बत्तीस, दिनांक 13 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित ग्वालियर विकास योजना, 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करता है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्वालियर (फूलबाग)	श्री गुरूनानक देव गुरूद्वारा समिति को अन सर्वेड एरिया में आदेश क्र. एफ-6-178/07/7/नजूल दि. 26-9-08 द्वारा आवंटित शासकीय भूमि.	313.54 वर्गमीटर (3375 वर्गफुट)	नगर उद्यान	वाणिज्यिक
			योग.. 313.54 वर्गमीटर (3375 वर्गफुट)		

(2) उपरोक्त उपांतरण ग्वालियर विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जून 2011

फा. क्र. 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-(एक) 10.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 20 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 58 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"58.	श्री सुधीर सिंह	रीवा	रीवा	रीवा	रीवा.".

टिप्पणी.— जहां किसी सिविल, जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17 (E) 43-2009-3835-XXI-B-(1)-10.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 (E) 43-2009-3835-XXI-B (1), dated 20th May, 2011 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table for serial number 58 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"58.	Shri Sudhiur Singh	Rewa	Rewa	Rewa	Rewa.".

Note.—Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District, in that case, such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

फा. क्र. 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-(एक) 11.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 20 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 35 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"35.	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद.".

टिप्पणी.— जहां किसी सिविल, जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17 (E) 43-2009-3835-XXI-B-(1)-11.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 (E) 43-2009-3835-XXI-B (1), dated 20th May, 2011 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table for serial number 35 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted namely:—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"35.	Shri Mahendra Kumar Tripathi	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad".

Note.—Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District, in that case, such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

सिंगरौली, दिनांक 28 जून 2011

क्र. 588-आर.डी.एम.-2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का संख्या 02) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिंगरौली, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट स्थान पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का संख्या-22) अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (1989 का संख्या 23) एवं अन्य विधियों के अधीन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध किये गये अपराधों के प्रयोजनों के लिये मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2-(क)/24-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010 के द्वारा स्वीकृत अनुसूचित जनजाति, कल्याण, पुलिस थाने की अधिकारिता, अनुसूची के कालम नं. (2) में अंकित तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रखने वाले थाना के रूप में घोषित करता हूं:—

अनुसूची

अजा/जजा कल्याण पुलिस थाना का स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)
अजाक थाना सिंगरौली	सम्पूर्ण सिंगरौली जिला

No. 589-RDM-2011.— In exercise of the powers conferred by clause (G) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the I, Collector & Disrtict Magistrate, Singrauli hereby, declare the Anusuchit Jati Evam Janjati Kalyan Police Station at the Place specified in column (1) of the Schedule below having jurisdiction specified in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule for the purposes of the offences under the Protection of Civil Right Act, 1955 (22 of 1955), the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of atrocities) Act, 1989 (No. 23 of 1989) and other laws committed against the members of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes:—

SCHEDULE

Places of Police Station A.J./A.J.J.K.	Jurisdiction
(1)	(2)
A. J. K. P. S. Singrauli	Whole of District—Singrauli

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक एफ-4(ए)/5/2011/ए-16.— मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक–25, सन् 1958) की धारा 1 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित अनुसूची के स्तभं क्रमांक (3) में उल्लेखित नगरों के स्तभं क्रमांक (4) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्रों में लागू होगें:–

अनुसूची

कमांक	जिले का नाम	स्थान का नाम	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. ग्वालियर	1. पिछोर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		2. बिलौआ	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		3. आंतरी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		4. भितरवार	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	2. शिवपुरी	5. करेरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		6. खनियाधाना	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		7. पिछोर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		8. बदरवास	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		9. नरवर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	3. गुना	10 राघोगढ़	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		11. चाचौडाबीनागज	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		12 आरोन	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		13. कुंभराज	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	4. अशोकनगर	14 चंदेरी	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		15. मुगावली	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		16. ईसागढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	5. दतिया	17. भाण्डेर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		18. इंदरगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		19. सेवडा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		20. बडोनी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	6. भिण्ड	21. मेंहगांव	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		22. लहार	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		23. गोरमी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		24. अकोडा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		25. मिहोना	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		26. आलमपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		27. दबोह	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		28. मौ	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		29. फूफकलां	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	7. मुरैना	30. पोरसा	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		31. कैलारस	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		32. झुण्डपुरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		33. बामौर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।

	8. श्योपुरकलां	34. विजयपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		35. बडौदा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	9. इन्दौर	36. देपालपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		37. सांवेर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		38. गौतमपुरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		39. बेटमा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		40. राऊ	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		41. हातौद	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		42. मानपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		43. महुगांव	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	10. धार	44. धरमपुरी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		45. सरदारपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		46. मांडव	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		47. डही	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	11 बडवानी	48. खेतिया	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		49. पानसेमल	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		50. पलसूद	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	12. झाबुआ	51. थांदला	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		52. पेटलावद	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		53. रानापुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	13. अलीराजपुर	54. जोबट	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		55. भावरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	14. (खण्डवा) पूर्व निमाड	56. मूंदी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		57. पंधाना	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		58. ओंकारेश्वर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		59. छनेरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	15. बुरहानपुर	60. शाहपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	16. उज्जैन	61. उन्हेल	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		62. माकडोन	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	17. नीमच	63. जावद	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		64. जीरन	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		65. रतनगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		66. सिंगोली	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		67. डिकेन	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		68. कुकडेश्वर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	18. देवास	69. खातेगांव	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		70. हाटपिपल्या	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		71. बागली	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		72. भौरांसा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		73. करनावद	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		74. काटाफोड	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		75. लोहारदा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		76. सतवास	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		77. टोंकखुर्द	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		78. पिपलरंवा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	19. शाजापुर	79. नलखेडा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		80. मक्सी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		81. बडौद	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		82. कानड़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।

		83. अकोदिया	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		84. सुसनेर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		85. सोयतकलां	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		86. बडागांव	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		87. पोलायकलां	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	20. रतलांम	88. ताल	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		89. सैलाना	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		90. नामली	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		91. बड़ावदा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		92. पिपलौदा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		93. धामनौद	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	21. मन्दसौर	94. सीतामऊ	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		95. पीपल्यामंडी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		96. नारायणगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		97. मल्हारगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		98. भानपुरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		99. नगरी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		100.गरोठ	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		101. सुवासरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	22. सीहोर	102. इछावर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		103. बुदनी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		104. जावर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		105. नसरूल्लागंज	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		106. रेहटी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		107. कोठरी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		108. शाहगंज	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	23. रायसेन	109. सुल्तानपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		110. बाडी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		111. सांची	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		112. उदयपुरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		113. सिलवानी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		114. गैरतगंज	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	24. विदिशा	115. कुरवाई	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		116. लटेरी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		117. शमशाबाद	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	25. राजगढ़	118. जीरापुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		119. खिलचीपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		120. तलेन	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		121. बोडा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		122. खुजनेर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		123. पचोर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		124. सुठालिया	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		125. माचलपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		126. छापीहेड़ा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	26. होशंगाबाद	127. बाबई	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		128. सोहागपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	27. हरदा	129. टिमरनी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	28. बैतुल	130. बैतुल बाजार	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		131. आठनेर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		132. चिचोली	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	29. सागर	133. रेहली	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।

		134. राहतगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		135. बंडा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		136. शाहपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		137. शाहगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	30. दमोह	138. तेंदुखेडा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		139. पथरिया	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		140. हिन्डोरिया	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	31. पन्ना	141. अमानगंज	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		142. देवेन्द्र नगर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		143. अजयगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		144. ककरहटी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		145. पवई	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	32. छतरपुर	146. धुवारा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		147. सटई	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		148. बारीगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		149. गढ़ीमल्हरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		150. बक्सवाहा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		151. चंदला	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		152. राजनगर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	33. टीकमगढ़	153. निवाडी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		154. पृथ्वीपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		155. देवगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		156. खरगापुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		157. पलेरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		158. जैरोनखालसा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		159. तरीचरकलां	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		160. जतारा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		161. लिधोराखास	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		162. बड़ागांव	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		163. कारी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		164. ओरछा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	34. रीवा	165. बैकुंठपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		166. हनुमना	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		167. चाकघाट	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		168. गोविन्दगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		169. नईगढ़ी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		170. सिरमौर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		171. मनगवां	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		172. सेमरिया	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		173. गुढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	35. सीधी	174. चुरहट	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		175. रामपुरनेकिन	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		176. मझोली	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	36. सतना	177. बिरसिंहपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		178. कोटर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		179. कोठी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		180. रामपुर–बघेलान	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	37. शहडोल	181. जयसिंहनगर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		182. खाण्ड	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	38. अनूपपुर	183. पसान	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।

		184. बिजूरी	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		185. जैतहरी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		186. अमरकंटक	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	39. उमरिया	187. चंदिया	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		188. नौरोजाबाद	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		189. पाली	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	40. जबलपुर	190. बरेला	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		191. भेड़ाघाट	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		192. शाहपुरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		193. पाटन	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		194. मझौली	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		195. कटंगी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	41. कटनी	196. बरही	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		197. विजयराघवगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	42. बालाघाट	198. मलाजखंड	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		199. कटंगी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		200. बैहर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		201. लांजी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	43. छिन्दवाड़ा	202. दमुआ	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		203. चौरई	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		204. अमरवाड़ा	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		205. हर्रई	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		206. लोधीखेडा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		207. न्यूटन चिखली	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		208. चांदामेटा बुटारिया	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		209. मोहगांव	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		210. बडकुही	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		211.पपलानारायणवार	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	44. नरसिंहपुर	212. तेंदूखेडा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	45. सिवनी	213. लखनादौन	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		214. बरघाट	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	46. मण्डला	215. नैनपुर	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		216. बम्हनीबंजर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		217. निवास	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		218. बिछिया	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	47. डिण्डोरी	219. शाहपुरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।

No. F-4(A)/5/2011/A-16.— ------In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (25 of 1958), the State Government hereby directs that all provisions of the said Act shall apply to the towns specified in cloumn number 3 of the schedule given below, within the local areas specified in column (4) of the said Schedule, with effect from the date of publication of this Noficiation in the Madhya Paradesh Gazatte:-

SCHEDULE

Number	District	Name of Town	Local area
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.Gwalior	1.Pichhor	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		2.Biloaa	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		3.Aantari	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		4.Bhitarwar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	2.Shivpuri	5.Karera	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		6.Khaniadhana	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		7. Pichhor	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		8.Badarwas	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		9.Narwar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	3.Guna	10.Raghogarh	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		11.Chachoidabinagaj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		12.Aaron	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		13.Kumbhraj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	4.Ashoknagar	14. Chanderi	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		15. Mugawali	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		16. Isagarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	5. Datia	17.Bhander	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		18.Indergarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		19.Sevda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		20.Badoni	Area comprising within the local limits of

			Nagar Panchayat
	6.Bhind	21.Mehgaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		22.Lahar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		23.Gormi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		24.Akoda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		25.Mihona	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		26.Aalampur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		27.Daboh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		28.Moi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		29.Phoophkala	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	7.Morena	30.Porsa	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		31.Kailaras	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		32.Zundpura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		33. Bamor	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	8.Shyopurkalan	34.Vijaypur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		35. Badoida	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	9.Indore	36. Depalpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		37.Sawer	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		38.Goitampura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		39.Betma	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		40.Roau	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		41.Hatod	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		42. Manpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		43.Mahugaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	10.Dhar	44.Dharampuri	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		45.Sardarpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		46. Mandav	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		47.Dahi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

	11.Badwani	48.Khetiya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		49 Pansemal	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		50. Palsud	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	12.Zhabua	51. Thadla	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		52.Petlawad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		53.Ranapur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	13.Alirajpur	54. Jobat	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		55.Bhavra	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	14.Khanwa(East Nimar)	56.Moondi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		57.Pandhana	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		58.Onkareshwar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		59.Chhanera	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	15.Burhanpur	60.Shahpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	16.Ujjain	61.Unhel	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		62.Makdon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	17.Neemuch	63.Javad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		64.Jeeran	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		65.Ratangarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		66.Singoli	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		67.Diken	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		68.Kukadeshwar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	18.Dewas	69.Khategaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		70.Hatpiplya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		71.Bagli	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		72.Bhaurasa	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		73.Karnawad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

		74. Kataphod	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		75.Loharda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		76.Satwas	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		77.Tonkkhurd	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		78.Piplrnwa	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	19.Shajapur	79.Nalkheda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		80.Maksi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		81.Badoid	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		82.Kanad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		83.Akodia	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		84.Susner	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		85.Soyatkala	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		86.Badagaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		87.Polaykala	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	20.Ratlam	88.Tal	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		89.Sailana	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		90.Namali	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		91.Badavda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		92.Piploida	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		93.Dhamnod	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	21.Mandsaur	94.Seetamoi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		95.Piplyamandi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		96.Narayangarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		97.Malhargarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		98.Bhanpura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		99.Nagari	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

		100.Garoth	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		101.Suwasara	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	22.Sehor	102. Echyawar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		103.Budni	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		104.Jawar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		105.Nasrullaganj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		106.Rehti	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		107.Kothri	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		108.Shahganj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	23.Raisen	109.Sultanpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		110.Badi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		111.Sanchi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		112.Udaypura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		113.Silwani	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		114.Gairatganj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	24.Vidisha	115.Kurwai	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		116.Lateri	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		117.Shamshabad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	25.Rajgarh	118.Jeerapur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		119.Khilchipur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		120.Talen	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		121.Boda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		122.Khujner	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		123.Pachor	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		124.Suthalia	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		125.Machalpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

		126.Chhapiheda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	26.Hoshangabad	127.Babai	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		128.Sohagpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	27.Harda	129.Timrani	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	28.Baitul	130.Baitul Bazar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		131.Aathner	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		132.Chicholi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	29.Sagar	133.Rehli	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		134.Rahatagarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		135.Banda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		136.Shahpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		137.Shahgarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	30.Damoh	138.Tendukheda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		139.Pathriya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		140.Hindoriya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	31.Panna	141.Aamanganj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		142.Devendra nagar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		143.Ajaygarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		144.Kakarhati	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		145.Pavai	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	32.Chhatarpur	146.Dhuwara	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		147.Satai	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		148.Barigarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		149.Gadhimalhra	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		150.Baxwaha	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		151.Chandla	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

		152.Rajnagar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	33.Tikamgarh	153.Niwadi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		154.Pruthvipur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		155.Devgarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		156.Khargapur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		157.Palera	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		158.Jaironkhalsa	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		159.Taricharkala	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		160.Jatara	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		161.Lidhorakhas	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		162.Badagaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		163.Kari	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		164.Oarcha	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	34.Reewa	165.Baikunthpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		166.Hanumna	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		167.Chakghat	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		168.Govindgarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		169.Naigadhi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		170.Sirmor	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		171.Mangawa	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		172.Semriya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		173.Gudh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	35.Seedhi	174.Churhat	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		175.Rampurnekin	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		176.Mazoli	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	36.Satna	177.Birsinghpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

		178.Kotar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		179.Kothi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		180.Rampur-Baghelan	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	37.Shahdol	181.Jaysinghnagar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		182.Khand	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	38.Anooppur	183.Pasan	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		184.Bijoori	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		185.Jaithari	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		186.Amarkantak	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	39.Umaria	187.Chandia	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		188.Naurojabad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		189.Pali	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	40.Jabalpur	190.Barela	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		191.Bhedaghat	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		192.Shahpura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		193.Patan	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		194.Mazoli	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		195.Katangi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	41.Katni	196.Barhi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		197.Vijayraghavgarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	42.Balaghat	198.Malajkhand	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		199.Katangi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		200.Baihar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		201.Lanji	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	43.Chhindwara	202.Damua	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		203.Chaurai	Area comprising within the local limits of Nagar Palika

		204.Amarwada	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		205.Harai	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		206.Lodhikheda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		207.Newton Chikhali	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		208.Chanda Meta Butaria	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		209.Mohgaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		210.Badkuhi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		211.Paplanarayanwar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	44.Narsinhpur	212.Tendukheda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	45.Seoni	213.Lakhnadaun	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		214.Barghat	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	46.Mandla	215.Nainpur	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		216.Bmhnibanjar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		217.Niwas	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		218.BiChiya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	47.Dindori	219.Shahpura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पुखराज मारू, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 8 जून 2011

नस्ती क्र. 75-एल.ए.-2011-भू-अर्जन-प्र. क्र. 52-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सहेजला	5.28	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 84-एल.ए.-2011-भू-अर्जन-प्र. क्र. 53-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	देलवा रैं.	0.68	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 86-एल.ए.-2011-भू-अर्जन-प्र. क्र. 54-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	खुटला खुर्द	1.57	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 83-एल.ए.-2011-भू-अर्जन-प्र. क्र. 55-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	पिपलकोटा	1.40	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 14 जून 2011

नस्ती क्र. 360-2009-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 10-अ-82-09-10-**शुद्धि-पत्र**.—पुनासा, उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम रिछी, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्र.-10-अ-82-09-10 में भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 25 जून 2010 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में.)	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 25-06-2010	33/2	0.09	32/2	0.09

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.15 हे. यथावत् रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर, एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 20 जून 2011

क्र. क्यू-भू अर्जन-130-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	नरवर	सहीडा कलां	7	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दाया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.	सिंध दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की शाखा डी-5 की 8 एल-9 एल मायनर निर्माण कार्य हेतु.
			9	0.32		
			27	0.07		
			28	0.20		
			35	0.11		
			37	0.15		
			53	0.10		
			54	0.21		
			56	0.12		
			57	0.05		
			60	0.12		
			61	0.27		
			63	0.16		
			82	0.06		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			83	0.31		
			84	0.17		
			85	0.09		
			86/1	0.07		
			86/2	0.07		
			87	0.02		
			95	0.07		
			96	0.22		
			97	0.01		
			98	0.17		
			104	0.14		
			105	0.04		
			106	0.25		
			110	0.01		
			111	0.22		
			112	0.04		
			127	0.03		
			172	0.01		
			173	0.14		
			174	0.15		
			175	0.01		
			176	0.23		
			192	0.18		
			193	0.17		
			194	0.05		
			195	0.10		
			211	0.44		
			212	0.10		
			325	0.03		
			327	0.12		
			328	0.05		
			329	0.03		
			331	0.03		
			332	0.04		
			333	0.07		
			334	0.06		
			337	0.06		
			338	0.02		
			339	0.07		
			340	0.01		
			341	0.03		
			342	0.06		
			343	0.07		
			346	0.02		
			347	0.05		
			349	0.06		
			350	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			517	0.11		
			518	0.13		
			521	0.26		
			523	0.13		
			527	0.02		
			543	0.36		
			544	0.07		
			545	0.04		
			546	0.01		
			547	0.01		
			554	0.17		
			555	0.04		
			592	0.01		
			596	0.01		
			597	0.20		
			598	0.15		
			599	0.12		
			600	0.01		
			602	0.11		
			603	0.01		
			604	0.10		
			605	0.18		
			606	0.02		
			609	0.04		
			677	0.01		
			678	0.21		
			679	0.01		
			680	0.10		
			681	0.03		
			692	0.16		
			693	0.10		
			694	0.11		
			697	0.12		
			698	0.07		
			699	0.08		
			702	0.17		
			716	0.03		
			717	0.24		
			719	0.16		
			कुल योग :	10.28		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू अर्जन-131-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	नरवर	तोरस नाई	108	0.03	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.	सिंध दांयी तट नहर (महुअर नदी तक) की शाखा डी-8 एवं मायनर निर्माण कार्य हेतु.
			109	0.42		
			282	0.02		
			283	0.02		
			284	0.04		
			285	0.03		
			290	0.02		
			289	0.01		
			291	0.07		
			292	0.08		
			293	0.03		
			304	0.05		
			173	0.14		
			295	0.08		
			298	0.06		
			166	0.02		
			277	0.07		
			303	0.09		
			305	0.05		
			174	0.05		
			167	0.02		
			306	0.27		
			307	0.03		
			314	0.03		
			315	0.11		
			317	0.14		
			319	0.01		
			320	0.03		
			321	0.03		
			214	0.34		
			215	0.01		
			223	0.21		
			222	0.20		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			269	0.04		
			271	0.17		
			243	0.14		
			246	0.30		
			248	0.21		
			270	0.09		
			272	0.13		
			322	0.36		
			323	0.02		
			326	0.07		
			325	0.01		
			327	0.08		
			328	0.15		
			330	0.01		
			318	0.10		
			331	0.11		
			339	0.26		
			340	0.02		
			341	0.29		
			66	0.02		
			68	0.10		
			69	0.01		
			81	0.05		
			83	0.25		
			85	0.12		
			100/3	0.07		
			101/3	0.09		
			118	0.12		
			163	0.03		
			164	0.03		
			168	0.03		
			165	0.02		
			169	0.03		
			170/1	0.02		
			175	0.13		
			योग :	6.49		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 30 जून 2011

क्र. क्यू-भू अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी, व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	कोलारस	सुनाज	184/13	0.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	सुनाज तालाब योजना एवं नहर निर्माण हेतु.
			184/14	0.10		
			184/16	0.05		
			184/17	0.10		
			211	0.25		
			259	0.003		
			268	0.004		
			269	0.079		
			270	0.029		
			273	0.038		
			274	0.026		
			275	0.049		
			276	0.039		
			364	0.062		
			365	0.138		
			382	0.218		
			402	0.024		
			403	0.10		
			404	0.046		
			408	0.10		
			443	0.321		
			444	0.059		
			463	0.009		
			520	0.001		
			521	0.22		
			522	0.054		
			837	0.34		
			838	0.11		
			869	0.11		
			873	0.006		
			874	0.037		
			875	0.06		
			876	0.05		
			877	0.044		
			879	0.004		
			881	0.057		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			886	0.138		
			887	0.11		
			888	0.10		
			895	0.237		
			1029	0.078		
			1032	0.164		
			1035	0.25		
			1039	0.017		
			1040	0.072		
			1049	0.038		
			1051	0.235		
			1058	0.20		
			1198	0.066		
			1204	0.077		
			1206	0.038		
			1225	0.457		
			1230	0.175		
			1398	0.118		
			1400	0.146		
			1403	0.118		
			1579	0.103		
			1580	0.102		
			1583	0.064		
			1601	0.055		
			1605	0.105		
			1606	0.124		
			1625	0.001		
			1628	0.105		
			1629	0.093		
			1630	0.010		
			1631	0.088		
			1646	0.068		
			1656	0.381		
			1657	0.120		
			1661	0.181		
			1704	0.003		
			1762	0.02		
			1780	0.182		
			1824	0.137		
			1825	0.05		
			1832	0.109		
			1833	0.078		
			1859	0.739		
			1860	0.37		
			1862	0.27		
			1863	0.40		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1865	1.55		
			1866	0.246		
			1870	0.98		
			1872	1.00		
			1873	0.72		
			1874	1.78		
			1875	1.97		
			1877	1.00		
			1878	0.70		
			1879	1.05		
			1880	2.00		
			1881	2.02		
			1882	2.02		
			1883	0.699		
			1888	1.42		
			1889	1.20		
			1890	1.00		
			1891	0.42		
			1892	2.02		
			1893	1.05		
			1894	0.23		
			1895	0.68		
			1896	3.24		
			1898	0.413		
			1900	0.621		
			1903	0.191		
			1904	0.453		
			1951	0.016		
			1975	0.217		
			1976	0.152		
			1977	0.169		
			1979	0.211		
			2119	0.10		
			2120	1.45		
			2122	0.63		
			2123	0.09		
			2124	0.54		
			2125	1.50		
			2126	0.52		
			2127	0.568		
			2135	2.42		
			2137/1	2.00		
			2137/2	1.09		
			2149	0.159		
			2151	0.90		
			2152	0.70		
			2156	1.13		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			2158	0.86		
			2168	0.43		
			2169	1.55		
			2170	0.45		
			2171	0.10		
			2178	1.65		
			2179	0.20		
			2180	1.60		
			2181	0.30		
			2183	0.43		
			2184	1.20		
			2185	0.30		
			2186	0.82		
			2188	0.15		
			2190	0.20		
			2191	0.60		
			2192	0.50		
			2196	2.02		
			2197	2.02		
			2198	0.40		
			2199	2.02		
			2200	2.02		
			2201	2.02		
			2208	1.15		
			2210	1.60		
			2213	1.40		
			2214	0.25		
			2215	0.872		
			2216	2.00		
			2217	1.04		
			2218	1.711		
			2219	2.00		
			2220	1.38		
			2221	2.00		
			2222	2.00		
			2223	0.19		
			2225	0.20		
			2226	0.183		
			2232	0.20		
			2234	1.60		
			2237	0.12		
			2238	1.00		
			योग	: 98.448		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 27 जून 2011

प्र. क्र. 5-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	लटेरी	रुसिया	1.439	भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज	रुसिया लघु तालाब की बांयी तट नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.
		लक्ष्मीपुर	1.671		
		योग .	3.110		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—रुसिया लघु तालाब की बायीं तट नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली, दिनांक 29 जून 2011

क्र. 1020-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	डांगा	0.43	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-1, सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	सेहरा बांध की नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 29 जून 2011

प्र. क्र. 15-अ-82-पत्र क्र.-877-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	सेमल्दा	100.00 वर्गमीटर म. प्र. शासन	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न. घा. वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में आने से.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 29 जून 2011

क्र. 9245-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	डोलरिया	खरार	0.096	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमॉक-1, होशंगाबाद.	सोनखेडी से मिसरोद मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		चंडवाड	0.228		
		सोनखेडी	0.144		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 1 जुलाई 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	उदयपुरा	बेरखेड़ी	37/2	0.919	0.086	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.	कुकरा जलाशय की उप नहरों हेतु.
			37/1	0.919	0.126		
			22/2/2	0.303	0.076		
			22/2/1	0.899	0.090		
			31	1.716	0.144		
			29/1	3.258	0.191		
			73/2	1.954	0.169		
			73/1	3.615	0.011		
			67	3.153	0.252		
			65	2.537	0.184		
			110/1	1.821	0.119		
			110/2	1.421	0.115		
			109	1.404	0.162		
			146	0.501	0.011		
			183/1/1	9.635	0.169		
			183/2/1	1.619	0.270		
			142/1	1.595	0.065		
			142/2	1.088	0.079		
			142/3	2.918	0.198		
			143	1.404	0.112		
			149	3.177	0.097		
			151	2.719	0.180		
			150	0.793	0.097		
		सिमरिया	18/1	2.351	0.043		
			18/2	1.619	0.032		
			13/1	3.225	0.144		
			13/2	1.071	0.061		

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			11/2	2.023	0.191		
			9/1	2.857	0.148		
			9/2/1	1.534	0.083		
			9/2/2	1.619	0.083		
			8	2.509	0.133		
			38/3	1.805	0.133		
			38/2	3.405	0.201		
			38/1	3.405	0.241		
			67/1	3.238	0.097		
			67/2	1.703	0.094		
			67/3	3.238	0.090		
			66	0.745	0.090		
		कुकरा	107	2.602	0.191		
			कुल योग . .		5.058		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 1 जुलाई 2011

क्र. 1031-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	बिरूल	27.040	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, खरगोन.	मालखेड़ा तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 505-प्र. क्र. 13-अ-82-2010-11-3398.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	सिंहपुर	0.877	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, शहडोल (म. प्र.).	मिठौरी जलाशय की मुख्य नहर एवं उपनहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 553-प्र. क्र. 14-अ-82-2010-11-3416.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	अंतरा	2.288	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, शहडोल (म. प्र.).	बंधवा जलाशय योजना की बांयी मुख्य नहर में प्रभावित ग्राम अंतरा के निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. 2316-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	देहण्डी बडी	2.82	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की बडलीपाडा सबमाईनर क्र. 1 के निर्माण हेतु.
			योग . . 2.82		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2318-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	मोईचारणी	2.09	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण हेतु.
			योग . . 2.09		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-2320-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	करनगढ़	2.68	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण हेतु.
			योग . . 2.68		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2322-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	गेहण्डी	1.18	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की बडलीपाडा सबमाईनर नहर 2 के निर्माण हेतु.
			योग . . 1.18		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2324-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बोरपाड़ा	1.85	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना	माही परियोजना की करनगढ़
			योग . . 1.85	मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2326-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	रामगढ़	0.15	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना	माही परियोजना की बडलीपाडा
			योग . . 0.15	मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	सबमाईनर नहर 2 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2340-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	कचनारिया	1.51	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना	माही परियोजना की बडलीपाडा
			योग . . 1.51	मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	सबमाईनर नहर 2 के निर्माण

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 6 जूलाई 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5050.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमडोह	1.011	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. -2, बैतूल.	बटकी जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5051.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गोपीनाथपुर	6.173	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. -2, बैतूल.	सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-5057.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	डोब	34.021	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	डोब लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुतलाई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता हैं.

प्र. क्र. 4-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-5058.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	सिलादेही	0.337	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	डोब लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुतलाई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5052.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	शांतीपुर	4.242	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5053.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय कीं सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सालीवाड़ा	3.700	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 7 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5054.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोडाडोंगरी	गोलईखुर्द	1.210	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 08 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5055.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सालीवाड़ा	3.401	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5056.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोडाडोंगरी	बटकीडोह	5.580	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 बैतूल.	बटकी जलाशय के बाध व नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 7 जुलाई 2011

प्र. क्र.-16 अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	डोंगरगांव, नं. बं. 196, प. ह. नं. 83/89	42.365	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-17-अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	कुड़ारी नं. बं. 62 प. ह. नं. 63/89	28.780	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-18-अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	गांगई नं. बं. 120 प. ह. नं. 64/69	71.538	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-19-अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	चोरबरहटा नं. बं. 153 प. ह. नं. 64/90	216.850	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-20-अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	उमरिया नं. बं. 31 प. ह. नं. 64/90	130.826	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-21-अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	मेहराखेड़ा, नं. बं. 368, प. ह. नं. 64/90	168.384	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

रा.मा. क्र.-9-अ-82-वर्ष 2010-2011-पत्र क्र. 129/130-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गोटेगांव
(ग) ग्राम—बम्हनी, प.ह.नं. 91
(घ) लगभग क्षेत्रफल —16.203 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
108/1, 108/2	0.150
122/1	0.518
93/2	1.000
122/2, 123/1, 124/1, 122/3, 123/2, 124/2, 122/4, 123/3, 124/3, 122/5 123/4, 124/4	1.504
118/2, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12	0.470
118/5	0.480
121/1	0.500
121/2	1.583
121/3	1.400
121/4	0.560
121/5	0.480
130	0.620
127	0.500
92/1	1.519
129	0.200
132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 132/8	0.500
92/2	1.519
93/1	1.200
91	0.250
78/1	0.150
78/2	0.700
78/3	0.400
योग . .	16.203

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बम्हनी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 8 जून 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. 24-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 12-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—धारकवाड़ी

(घ) अर्जित रकबा—1.54 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2	0.11
3	0.14
4	0.09
8/1	0.04
9/2	0.03
10/1	0.09
10/2	0.06
14/1	0.07
14/2	0.01
51/2	0.29
51/3	0.21
54/1	0.13
54/2	0.11
54/3	0.06
54/4	0.10
योग . .	1.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 25-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 11-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—सातमोहनी

(घ) अर्जित रकबा—1.13 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
18/1	0.09
18/2	0.03
18/3	0.01
20/1	0.18
36	0.04
38/1	0.17
38/2	0.06
41/1	0.09
43	0.08
58	0.14
66	0.04
68	0.13
69	0.07
योग . .	1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 26-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 17-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—खैगांव

(घ) अर्जित रकबा—2.05 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
281	0.10
282	0.03
283	0.01
284	0.01
285/1	0.02
285/2	0.02
289	0.07
290	0.07
291/4	0.03
291/5	0.03
291/6	0.03
295	0.09
296	0.09
308	0.26
311/1	0.03
311/2	0.03
312	0.01
316	0.05
317	0.04
318	0.01
339/1	0.01
339/5	0.24
342	0.12
343	0.09
344	0.07
354	0.02
355	0.02
356	0.01
357	0.01
361	0.24
363/1	0.03
363/2	0.03
364	0.13
योग . .	2.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 27-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 14-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—हरड़ी

(घ) अर्जित रकबा—2.81 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6	0.06
67	0.21
170	0.15
7/1	0.12
9	0.09
10/2	0.08
10/3	0.15
18/1	0.15
18/2	0.09
19	0.23
22	0.18
24	0.03
62	0.12
171	0.02
141	0.12
148	0.03
154	0.15
165/1	0.09

(1)	(2)
166	0.01
168	0.13
169	0.15
172/4	0.12
173	0.17
175/1	0.04
175/2	0.06
175/3	0.06
योग . .	2.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू.-अर्जन-प्र. क्र. 28-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 15-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—बीड़

(घ) अर्जित रकबा—3.040 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
81/1	0.070
81/4	0.140
82/1	0.100
84/2	0.070
84/3	0.070
86/1	0.020
86/2	0.020
87/2	0.140
88/1	0.110
88/2	0.160
89/1	0.040
89/2	0.140
90/2	0.090
91/1	0.070
91/3	0.100
95/2	0.030
95/3	0.010
96	0.130
103	0.100
105	0.150
116/2	0.160
119	0.090
121/1	0.040
121/2	0.040
121/3	0.030
122/1	0.020
122/2	0.060
122/3	0.150
125/1	0.100
138	0.190
139/1	0.040
142/2	0.050
182/1	0.090
182/3	0.080
183	0.140
योग . .	3.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू.-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 13-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—फिफरिया

(घ) अर्जित रकबा—2.37 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.06
2	0.04
3/3	0.10
4	0.07
5	0.10
10	0.24
17/3	0.08
44	0.01
45	0.17
46/1	0.07
46/2	0.08
47/3	0.13
70	0.06
71/1	0.15
72	0.08
73/2	0.08
76/1	0.02
76/3	0.10
77	0.03
79/3	0.05
80	0.05
81	0.16
100	0.07
101/1	0.06
101/2	0.01
104/1	0.01
104/2	0.05
105	0.02
107	0.10
115/1	0.05
115/2	0.07
योग . .	2.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू.-अर्जन-प्र. क्र. 31-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 25-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—रिजगांव

(घ) अर्जित रकबा—2.07 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6/2	0.15
7	0.03
8/1	0.16
19	0.30
20	0.04
22	0.19
28	0.15
289	0.16
295	0.03
297	0.06
298	0.07
299	0.09
300	0.05
301	0.05

(1)	(2)
313/2	0.02
314	0.02
315	0.04
316	0.04
317	0.04
318	0.09
321/1	0.13
376	0.12
379	0.04
00	00
योग . .	2.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू.-अर्जन-प्र. क्र. 32-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—रनगांव

(घ) अर्जित रकबा—1.32 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
558	0.31
609	0.06
610	0.07
611	0.07
612	0.07
613	0.03
614	0.17
648/3	0.11
649	0.19
657	0.07
658	0.06
659	0.10
660/2	0.01
00	00
योग . .	1.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू.-अर्जन-प्र. क्र. 33-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—खुटफल

(घ) अर्जित रकबा—0.14 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
314	0.14
योग . .	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 13 जून 2011

क्र. 6-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—भियाँखेड़ी
(घ) क्षेत्रफल—1.209 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
19	0.125
15/1	0.160
15/2	0.111
13/4	0.087
13/5	0.100
13/6	0.090
13/7	0.080
13/44	0.080
12/1	0.230
12/2	0.146
योग . .	1.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्रमांक 2, के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बाबत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उप खण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 11-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—लोधाखेड़ी
(घ) क्षेत्रफल—0.485 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
240/1क	0.290
240/254	0.034
241	0.161
योग . .	0.485

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्रमांक 2, के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बाबत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उप खण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 16 जून 2011

प्र. क्र. 105-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—गुमानगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.08 है.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
644	0.50	निजी भूमि
676	0.26	निजी भूमि
678	0.01	निजी भूमि
717	0.08	निजी भूमि
721	0.13	निजी भूमि
733	0.06	निजी भूमि
734	0.16	निजी भूमि
732	0.02	निजी भूमि
751	0.08	निजी भूमि
754	0.02	निजी भूमि
755	0.04	निजी भूमि
759	0.11	निजी भूमि
760	0.04	निजी भूमि
812	0.03	निजी भूमि
813/1	0.03	निजी भूमि
813/2	0.02	निजी भूमि
813/3	0.03	निजी भूमि
810	0.02	निजी भूमि
803	0.02	निजी भूमि
804	0.02	निजी भूमि
806	0.02	निजी भूमि
791	0.03	निजी भूमि
792	0.05	निजी भूमि
793/1	0.06	निजी भूमि
798/2	0.06	निजी भूमि
845	0.08	निजी भूमि
828	0.04	निजी भूमि
844/1	0.02	निजी भूमि
821	0.04	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.08	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुमानगंज तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 25 जून 2011

प्र. क्र. 032-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—शहपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.43 है.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
9	0.22	निजी भूमि
10	0.02	निजी भूमि
23	0.08	निजी भूमि
24	0.05	निजी भूमि
37	0.05	निजी भूमि
41	0.03	निजी भूमि
42	0.02	निजी भूमि
43	0.02	निजी भूमि
80	0.06	निजी भूमि
81	0.10	निजी भूमि
82	0.01	निजी भूमि
83	0.06	निजी भूमि
84	0.03	निजी भूमि
89	0.01	निजी भूमि
85	0.03	निजी भूमि
102	0.06	निजी भूमि
233	0.08	निजी भूमि
114	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
115	0.02	निजी भूमि
117	0.06	निजी भूमि
116	0.09	निजी भूमि
155	0.13	निजी भूमि
234	0.10	निजी भूमि
319	0.08	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.43	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— जुगरवारा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 066-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—महिलवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.16 है.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1722	0.05	निजी भूमि
1723	0.10	निजी भूमि
1731	0.06	निजी भूमि
1727	0.03	निजी भूमि
1728	0.06	निजी भूमि
1729	0.04	निजी भूमि
1730	0.05	निजी भूमि
3049	0.01	निजी भूमि
3050	0.07	निजी भूमि
2727	0.01	निजी भूमि
2728	0.02	निजी भूमि
2729	0.03	निजी भूमि
2730	0.05	निजी भूमि
2731	0.02	निजी भूमि
2732	0.03	निजी भूमि
2738	0.01	निजी भूमि
2739	0.01	निजी भूमि
2733	0.04	निजी भूमि
2734	0.03	निजी भूमि
2981	0.01	निजी भूमि
2986	0.02	निजी भूमि
2987	0.02	निजी भूमि
2735	0.06	निजी भूमि
2736	0.04	निजी भूमि
2737	0.04	निजी भूमि
2984	0.07	निजी भूमि
2985	0.09	निजी भूमि
2970	0.12	निजी भूमि
2971	0.05	निजी भूमि
2983	0.06	निजी भूमि
2972	0.04	निजी भूमि
2973	0.04	निजी भूमि
2976	0.07	निजी भूमि
2977	0.06	निजी भूमि
2978	0.06	निजी भूमि
2979	0.04	निजी भूमि
2974	0.14	निजी भूमि
3026	0.01	निजी भूमि
3027	0.23	निजी भूमि
3028	0.06	निजी भूमि
3029	0.26	निजी भूमि
3031	0.10	निजी भूमि
3032	0.01	निजी भूमि
3033	0.02	निजी भूमि
3034	0.03	निजी भूमि
3035	0.10	निजी भूमि
3051	0.08	निजी भूमि
3040	0.09	निजी भूमि
3041	0.04	निजी भूमि
3042	0.04	निजी भूमि
3043	0.07	निजी भूमि
3108	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
3112	0.04	निजी भूमि
3113	0.04	निजी भूमि
3114	0.06	निजी भूमि
3115	0.03	निजी भूमि
3116	0.05	निजी भूमि
3119	0.03	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	3.16	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 070-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—पिपरिया ज्योतिषी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.63 है.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
200	0.24	निजी भूमि
575	0.05	निजी भूमि
207	0.01	निजी भूमि
574	0.03	निजी भूमि
208	0.12	निजी भूमि
494	0.06	निजी भूमि
495	0.02	निजी भूमि
507	0.13	निजी भूमि
509/2	0.34	निजी भूमि
510	0.10	निजी भूमि
518	0.13	निजी भूमि
511	0.06	निजी भूमि
517/1	0.05	निजी भूमि
512	0.04	निजी भूमि
515	0.04	निजी भूमि
513	0.06	निजी भूमि
514	0.04	निजी भूमि
521/1	0.01	निजी भूमि
521/2	0.02	निजी भूमि
524	0.05	निजी भूमि
522/1	0.02	निजी भूमि
522/2	0.09	निजी भूमि
523	0.13	निजी भूमि
527	0.08	निजी भूमि
537	0.08	निजी भूमि
537	0.08	निजी भूमि
538	0.13	निजी भूमि
541	0.02	निजी भूमि
519	0.01	निजी भूमि
571/1	0.02	निजी भूमि
573	0.08	निजी भूमि
661	0.20	निजी भूमि
662	0.14	निजी भूमि
663/1	0.01	निजी भूमि
663/2	0.02	निजी भूमि
663/3	0.01	निजी भूमि
664	0.17	निजी भूमि
670	0.07	निजी भूमि
671	0.01	निजी भूमि
672	0.06	निजी भूमि
673	0.16	निजी भूमि
674	0.15	निजी भूमि
685	0.14	निजी भूमि
686/1	0.17	निजी भूमि
506/1	0.01	निजी भूमि
688	0.06	निजी भूमि
734	0.01	निजी भूमि
737	0.12	निजी भूमि
736	0.10	निजी भूमि
756	0.01	निजी भूमि
757	0.01	निजी भूमि
738	0.01	निजी भूमि
758	0.20	निजी भूमि
760	0.17	निजी भूमि
771	0.01	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
785	0.07	निजी भूमि
786	0.20	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	4.63	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 073-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—देवरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.80 है.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
598	0.13	निजी भूमि
600	0.05	निजी भूमि
601	0.14	निजी भूमि
599	0.03	निजी भूमि
602	0.04	निजी भूमि
603	0.04	निजी भूमि
715	0.07	निजी भूमि
716	0.08	निजी भूमि
808	0.04	निजी भूमि
811	0.12	निजी भूमि
812	0.04	निजी भूमि
781	0.04	निजी भूमि
782	0.05	निजी भूमि
783	0.07	निजी भूमि
784	0.04	निजी भूमि
785	0.06	निजी भूमि
786	0.04	निजी भूमि
787	0.04	निजी भूमि
788	0.02	निजी भूमि
799	0.06	निजी भूमि
789	0.06	निजी भूमि
2343	0.05	निजी भूमि
800	0.03	निजी भूमि
802	0.08	निजी भूमि
805	0.08	निजी भूमि
806	0.02	निजी भूमि
807	0.03	निजी भूमि
809	0.03	निजी भूमि
2366	0.07	निजी भूमि
2367	0.02	निजी भूमि
2368	0.03	निजी भूमि
2380	0.02	निजी भूमि
2369	0.04	निजी भूमि
2362	0.08	निजी भूमि
2453	0.08	निजी भूमि
2363	0.06	निजी भूमि
2454	0.03	निजी भूमि
2364	0.03	निजी भूमि
2456	0.08	निजी भूमि
2473	0.08	निजी भूमि
2474	0.08	निजी भूमि
2482	0.05	निजी भूमि
2485	0.06	निजी भूमि
2491	0.04	निजी भूमि
2494	0.07	निजी भूमि
2498	0.08	निजी भूमि
2500	0.08	निजी भूमि
2501	0.11	निजी भूमि
2502	0.03	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.80	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 102-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—सिमराकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.03 है.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
02/1	0.52	निजी भूमि
3	0.16	निजी भूमि
5	0.15	निजी भूमि
6	0.08	निजी भूमि
7/1	0.36	निजी भूमि
17	0.52	निजी भूमि
18	0.24	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.03	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलाही तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 104-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—बिलाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.54 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
91	0.10	निजी भूमि
92	0.06	निजी भूमि
465/2ख	1.03	निजी भूमि
121	0.05	निजी भूमि
122	0.06	निजी भूमि
355	3.07	निजी भूमि
359	2.66	निजी भूमि
381	0.10	निजी भूमि
360	0.73	निजी भूमि
362/1	1.00	निजी भूमि
363	0.23	निजी भूमि
364	0.49	निजी भूमि
361	3.00	निजी भूमि
367	0.61	निजी भूमि
369/1	0.20	निजी भूमि
371	0.74	निजी भूमि
372	0.08	निजी भूमि
373/1	0.43	निजी भूमि
350/429	0.48	निजी भूमि
450/430	1.39	निजी भूमि
350/431	0.35	निजी भूमि
350	0.02	निजी भूमि
362/2	1.12	निजी भूमि
381/419 क	0.36	निजी भूमि
362/3	1.12	निजी भूमि
381/419 ख	0.40	निजी भूमि
362/4	1.12	निजी भूमि
354	0.28	निजी भूमि
353	0.07	निजी भूमि
378	0.20	निजी भूमि
16	0.16	निजी भूमि
41	0.18	निजी भूमि
45	0.10	निजी भूमि
46	0.15	निजी भूमि
47	0.06	निजी भूमि
68	0.10	निजी भूमि
70	0.06	निजी भूमि
71	0.04	निजी भूमि
47/418	0.06	निजी भूमि
394/2	0.06	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
395	0.06	निजी भूमि
463	0.94	निजी भूमि
462	0.62	निजी भूमि
461	2.00	निजी भूमि
462/2क	0.40	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	26.54	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलाही तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 107-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—मझगांय

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.04 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
597	0.14	निजी भूमि
958	0.29	निजी भूमि
613/1	0.01	निजी भूमि
614/1	0.05	निजी भूमि
626/1ग	0.06	निजी भूमि
624/1	0.16	निजी भूमि
624/2	0.16	निजी भूमि
624/3	0.16	निजी भूमि
624/4	0.16	निजी भूमि
626/1क	0.06	निजी भूमि
626/1ख	0.06	निजी भूमि
626/1घ	0.06	निजी भूमि
628	0.34	निजी भूमि
629	0.33	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.04	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरहेपुर तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 109-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—पड़रहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.072 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
882/1ख	0.182	निजी भूमि
882/1घ	1.00	निजी भूमि
883/2	0.50	निजी भूमि
884	0.28	निजी भूमि
885/1	0.49	निजी भूमि
885/2	0.28	निजी भूमि
886/1	0.27	निजी भूमि
955/2	0.50	निजी भूमि
888	0.02	निजी भूमि
905	0.06	निजी भूमि
907	2.54	निजी भूमि
908	0.67	निजी भूमि
909	0.31	निजी भूमि
911	0.73	निजी भूमि
915	0.53	निजी भूमि
923	0.21	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
924/3	0.11	निजी भूमि
925/1घ	0.15	निजी भूमि
944/3	0.05	निजी भूमि
910	0.67	निजी भूमि
913	0.20	निजी भूमि
914	0.65	निजी भूमि
925/1A	0.15	निजी भूमि
944/1	0.04	निजी भूमि
925/1B	0.16	निजी भूमि
944/2	0.05	निजी भूमि
925/2	1.20	निजी भूमि
926	0.02	निजी भूमि
943	0.12	निजी भूमि
945	1.00	निजी भूमि
946/2	1.98	निजी भूमि
947/2	0.18	निजी भूमि
973	3.74	निजी भूमि
948/1	0.06	निजी भूमि
949/1	2.09	निजी भूमि
948/2	0.06	निजी भूमि
949/2	2.09	निजी भूमि
974/1	0.74	निजी भूमि
974/2	0.74	निजी भूमि
838	0.16	निजी भूमि
837	0.02	निजी भूमि
812	0.18	निजी भूमि
814	0.13	निजी भूमि
823/1क	0.31	निजी भूमि
823/2ख	0.18	निजी भूमि
955/1	0.50	निजी भूमि
951/1	0.20	निजी भूमि
946/1	1.45	निजी भूमि
947/1	0.07	निजी भूमि
972/2	0.05	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	28.072	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बरहेपुर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 111-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—चुनगुना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.04 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
529/1	0.58	निजी भूमि
529/2	0.57	निजी भूमि
530	0.45	निजी भूमि
532/1	0.88	निजी भूमि
532/2	0.88	निजी भूमि
532/3	0.88	निजी भूमि
532/4	1.70	निजी भूमि
532/5	1.30	निजी भूमि
533/1	0.63	निजी भूमि
533/2	0.60	निजी भूमि
534	0.89	निजी भूमि
537	0.31	निजी भूमि
538	0.04	निजी भूमि
539	0.37	निजी भूमि
540	0.14	निजी भूमि
541	0.04	निजी भूमि
542	0.25	निजी भूमि
543	0.24	निजी भूमि
544	0.03	निजी भूमि
545	0.44	निजी भूमि
546	0.02	निजी भूमि
549	0.04	निजी भूमि
529/3	0.17	निजी भूमि
528	0.26	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
527/1	0.12	निजी भूमि
524	0.10	निजी भूमि
561	0.12	निजी भूमि
527/2	011	निजी भूमि
525/1	0.12	निजी भूमि
562/1	0.06	निजी भूमि
525/2	0.12	निजी भूमि
562/2	0.06	निजी भूमि
553/1	0.15	निजी भूमि
570/1	0.06	निजी भूमि
553/2	0.15	निजी भूमि
570/2	0.06	निजी भूमि
553/3	0.15	निजी भूमि
556/1	0.06	निजी भूमि
570/3	0.06	निजी भूमि
553/4	0.15	निजी भूमि
556/2	0.06	निजी भूमि
570/4	0.06	निजी भूमि
583/1	0.32	निजी भूमि
583/2	0.12	निजी भूमि
582	0.12	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	14.04	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— चुनगुना तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 22 जून 2011

क्र. 2055-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—छायनपूर्व
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.22 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
306	0.02
433	0.06
436	0.08
446	0.11
452	0.05
456	0.08
457	0.32
720	0.15
733	0.10
734	0.02
735	0.02
736	0.03
738	0.18
योग . .	1.22

क्र. 2057-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—छायनपूर्व
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.95 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
109	0.16
110	0.10
113/1	0.18
114	0.05
116	0.13
118	0.13
123	0.04
124	0.03
202	0.03
203	0.10
204	0.14
209/1	0.18
209/2	0.17
210	0.03
212	0.02
215	0.10
217/1	0.10
228	0.04
229	0.16
230	0.30
575	0.09
576	0.05
577	0.13
579	0.15
631	0.12
632	0.16
633	0.22
789	1.00
792	0.15
793	0.10
796/2	0.15
798/2	0.10
799	0.10
800/1	0.20
800/2	0.20
801	0.02
803/1	0.34
803/2	0.15
804	0.32
योग . .	5.95

झाबुआ, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्र. 2310-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—रूणजी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.85 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
11	0.07
12	0.20
13	0.02
17	0.03
25	0.03
26	0.06
27	0.07
28	0.10
29	0.01
30	0.05
31	0.05
32	0.18
33	0.07
38	0.18
40	0.07
41	0.09

(1)	(2)
42	0.03
45	0.07
90	0.8
91	0.06
92	0.01
102	0.07
103	0.02
106	0.02
107	0.03
175	0.03
177	0.11
178	0.20
180	0.10
181/1	0.01
181/2	0.02
181/3	0.01
182	0.01
183	0.10
187	0.03
188	0.06
189	0.19
564	0.10
566	0.09
568	0.05
641	0.12
642	0.08
643	0.03
645	0.23
646	0.10
653/1	0.10
653/2	0.03
658	0.11
661	0.05
695	0.05
695	0.03
671	0.04
672	0.03
675	0.15
694	0.07
733	0.24
732	0.03
734	0.02
735	0.01
736	0.13
737	0.02
744	0.29
696	0.11
योग . .	4.85

झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. 2312-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—घुघरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.68 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
125	0.07
126	0.16
130	0.06
131	0.05
132	0.05
133	0.06
168	0.10
171	0.19
173	0.16
175	0.04
176	0.02
179	0.25
182	0.06
449	0.15
450/1	0.10
450/2	0.10
450/3	0.08

(1)	(2)
1011	0.03
1012/1	0.03
1012/2	0.08
1025	0.16
1028	0.06
1029	0.05
1030	0.12
1033	0.10
1034	0.12
1035	0.15
1037	0.12
1039/1	0.11
1039/2	0.12
1040	0.30
1483	0.09
1803	0.10
1804/1	0.08
1804/2	0.14
1810	0.17
1811	0.04
1818	0.20
1828	0.26
1829	0.02
1832	0.13
1835	0.12
2070	0.02
2071	0.06
योग . .	4.68

क्र. 2314-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—केशरपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.01 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
185	0.15
187	0.14
189	0.10
230	0.05
232	0.01
228	0.28
227/2	0.02
227/1	0.07
225	0.08
223	0.01
221	0.10
योग . .	1.01

क्र. 2328-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—मोहनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.04 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1063	0.05
1066	0.11
1076	0.48
1077/1	0.03

(1)	(2)
1077/2	0.08
1082/4	0.06
1082/5	0.08
1083	0.50
1094	0.08
1095	0.09
1097	0.33
1098	0.11
1099	0.04
योग . .	2.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम मोहनपुरा की निजी भूमि का कुल रकबा 2.04 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2330-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—हिण्डोलाबावडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.20 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
63	0.20
64	0.10
66/1	0.08
66/2	0.05
71	0.01
74/1	0.06
77	0.18
78	0.02
80/2	0.02
84	0.08
85	0.06
86/1	0.02
86/2	0.03
89	0.15
127/1	0.18
127/2	0.016
127/3	0.13
131	0.01
132	0.13
133	0.01
141	0.04
142	0.02
144	0.03
146	0.05
61	0.02
106	0.01
105	0.21
143	0.02
147	0.01
योग . .	2.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम हिण्डोलाबावडी की निजी भूमि का कुल रकबा 2.20 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2332-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—हवारुण्डा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
9/1	0.05
9/4	0.07
योग . .	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम हवारुण्डा की निजी भूमि का कुल रकबा 0.12 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2334-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—बैगनबर्डी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.11 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
7	0.06
8/2	0.01
27	0.02
29	0.02
योग . .	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम बैगनबर्डी की निजी भूमि का कुल रकबा 0.11 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2336-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—उम्मेदपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.19 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
36	0.03
37	0.02
47	0.09
51/1	0.06
51/2	0.10
52	0.17
55	0.05
56	0.12
57	0.02
58	0.08

(1)	(2)
63	0.01
64	0.16
68	0.13
71	0.15
योग . .	1.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम उम्मेदपुरा की निजी भूमि का कुल रकबा 1.19 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2338-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—छावनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.81 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.20
3/4	0.15
3/5	0.10
3/6	0.09
3/7	0.10
11	0.19
14	0.10
32	0.11
34	0.19
40	0.09
41	0.03
44	0.10
50	0.17
79	0.22
81	0.02
83	0.11
84	0.10
85	0.15
94	0.05
95	0.06
96	0.28
109	0.08
110	0.01
111	0.04
112	0.24
113	0.01
116	0.10
117	0.05
119	0.02
120	0.05
121	0.05
191	0.12
195	0.06
199	0.02
200	0.05
202	0.15
203	0.05
योग . .	3.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम छावनी की निजी भूमि का कुल रकबा 3.81 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2342-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .A-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-

अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—भील कोटड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
563	0.20
योग . .	0.20

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 23 जून 2011

क्र. 985-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर, संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 207-5-कोर्ट-11, दिनांक 7 मार्च 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—टोकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.518 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
12/3	0.506
13/2	0.182
13/1	0.081
48	0.263
31/2	0.041
14/2	0.445
योग . .	1.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बड़वाह-सनावद बायपास मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह तथा संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 24 जून 2011

क्र. 09-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—कटनी

(ग) ग्राम—कैलवारा खुर्द, प.ह.नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 4.04 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
582/1	0.57
582/2	0.66
582/3	0.07
583/2	0.03
584/1	0.17
584/2	0.64
584/3	0.30
585/1ख	0.21
585/2 586/2	0.53
585/3 586/4	0.28
585/4 586/5	0.32
585/5 586/6	0.26
योग . .	4.04

(2) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 25 जून 2011

क्र. 05-अ-82-2009-10-भू-अर्जन-2011-860-**संशोधन.**—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) नगर/ग्राम—पटवार

पूर्व में प्रकाशित सर्वे क्रमांक एवं रकबा	संशोधित सर्वे क्रमांक एवं रकबा
(1)	(2)
57/1/275—1000 वर्गमीटर	57/1/3ग—1000 वर्गमीटर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्य प्रोजेक्ट) अंतर्गत पुनर्वास स्थल के पहुंच मार्ग के लिए.

नोट—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा., मानजोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मनावर, दिनांक 30 जून 2011

क्र. 08-अ-82-2010-11-भू-अर्जन-2011-903-**संशोधन.**—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पूर्व में धारा 6 का प्रकाशन राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 1637-38, दिनांक 13 मई 2011 एवं दैनिक समाचार-पत्र ''स्वदेश'' दिनांक 13 मई 2011 एवं ''प्रभातकिरण'' में दिनांक 13 मई 2011 को किया गया था. संशोधन अनुसार निम्नानुसार पढ़ा जावे.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) नगर/ग्राम—अजंदा (पूरक)

पूर्व में प्रकाशित सर्वे क्रमांक एवं रकबा	संशोधित सर्वे क्रमांक एवं रकबा
(1)	(2)
कुल रकबा 18,779 हेक्टर सर्वे नं. 370/1, रकबा 0.140 हेक्टर. सर्वे नं. 441/3/2/3, रकबा 1.56 हेक्टर.	कुल रकबा 18.775 हेक्टर सर्वे नं. 37/1, रकबा 0.140 हेक्टर. सर्वे नं. 441/3/2/3, रकबा 0.156 हेक्टर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना के तृतीय चरण अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित.

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 30, मनावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 908-वाचक-प्र.क्र. 13-अ-82-2010-2011-**संशोधन**.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, संशोधित अधिसूचना इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—रणगांव पूरक
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.851 हेक्टर.

पूर्व में प्रकाशित सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)	संशोधित सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
196/2	0.220	196/1/3	0.220
योग . .	0.220	योग . .	0.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 116530 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूट्री क्र. 11 की उप नहर के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 30 जून 2011

प्र.क्र. 6-अ-82-2010-11-क्र. 1209-भू-अर्जन-नहर-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—कस्बा बड़वानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.941 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115, 116	1.748
137, 138, 141, 142	2.631
139/1, 140	0.008
139/2, 139/5	0.182
139/3	1.238
139/4	1.662
156/1	0.461
156/2	1.153
156/3	0.202
156/4	0.700
156/5	1.760
156/6	0.425
158/2, 159/1	0.615
161/1, 161/2	0.008
163/1	0.720
163/2	1.000
165/4	0.040
165/5	0.405
167, 168/2, 168/3, 169/1, 169/3	1.983
योग . .	16.941

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजान, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. . . . क-प्र.भू.-अर्जन-4 अ-82-वर्ष-09-10-5332.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन.

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—मिड़वासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.05 हेक्टेयर.

खसरा नं. (में से)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
471/1	0.06
469	0.08
468	0.08
464	0.24
457/2	0.17
458	0.03
	0.20
452	0.08
451/3	0.11
450/1	0.42
447/1	0.16
444/1	0.10
444/2	0.10
444/3	0.08
473/1	0.73
481	0.61
योग . .	3.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है.—छोटी रानगिर जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. 3112-भू-अर्जन-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) नगर/ग्राम—सलैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.920 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में.)
(1)	(2)
49	0.073

(1)	(2)
50	0.061
53	0.109
55/1	0.012
60	0.109
63	0.109
73/1ग	0.030
79	0.081
80	0.021
82	0.061
86	0.180
87	0.021
88	0.041
89	0.061
91	0.162
92	0.166
141	0.161
143	0.092
145	0.033
148	0.121
149	0.160
150	0.021
152/1	0.061
176	0.101
177	0.182
179	0.097
180/1	0.020
183/1	0.035
184	0.012
187	0.283
188	0.008
190	0.234
191/1	0.025
198	0.004
199	0.021
200	0.041
201	0.020
202	0.004
203	0.081
204	0.081
208	0.041
209	0.012
210	0.162
212	0.129
213	0.012
214	0.121
223	0.025
229	0.073
244	0.008
245	0.004
246	0.030
247	0.032
254	0.061
255	0.162
256	0.101
279	0.073
280	0.081
280	0.016
288	0.141
290	0.061
300	0.085
302	0.158
303	0.085
304	0.088
305	0.113
306	0.263
307	0.073
317	0.168
317	0.132
318	0.021
319	0.101
322	0.490
322	0.389
323	0.141
327	0.324
329	0.008
375	0.132
387/1	0.214
474	0.306
621	0.057
623	0.012
624	0.020
योग . .	7.920

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरूहा जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाली, जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3112-भू-अर्जन-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) नगर/ग्राम—मेढकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —8.036 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में.)
(1)	(2)
9	0.097
11	0.13
13	0.089
15/2	0.101
16/1	0.113
16/2	0.000
17/1	0.109
34	0.004
35	0.456
37	0.097
38/1क	0.065
38/1ख	0.195
63	0.21
64	0.089
84	0.093
123	0.06
124	0.13
125	0.15
127	0.132
134	0.024
135	0.101
142/2	0.081
143	0.097
144	0.134
144/2	0.042
147	0.194
148/1	0.040
148/3	0.073
166	0.028
167	0.03
175	0.03
176	0.024
183/1	0.073
183/2	0.073
187	0.121
196	0.032
198	0.012
198	0.012
199	0.041
199	0.041
211	0.045
228	0.061
232	0.061
234	0.153
278	0.101
279	0.032
280	0.223
281	0.012
285	0.008
286	0.070
287	0.033
314/1	0.048
321	0.032
322	0.030
323	0.032
326/1	0.133
333	0.045
334	0.008
335	0.008
375	0.178
376	0.012
377	0.008
384/1	0.315
439	0.142
440	0.161
447	0.221

(1)	(2)
489	0.093
491	0.069
492	0.065
493	0.076
495	0.012
504	0.048
506	0.283
507/1	0.105
509	0.101
510	0.405
521	0.021
535	0.15
536	0.008
537	0.13
540	0.012
590	0.077
592	0.121
594	0.117
596/1	0.129
597	0.219
योग . .	8.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरूहा जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाली, जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 6 जुलाई 2011

प्र. क्र. 4-अ-82-10-11-2004.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 का के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पथरिया
(ग) ग्राम—कुमेरिया, सरखड़ी, देवरान
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.21, 0.27, 0.26=0.74 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहण किये जाने वाला रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम-कुमेरिया	
77/1 में से	0.04
78/1 में से	0.06
81 में से	0.04
83/1 में से	0.07
योग . .	0.21
ग्राम-सरखड़ी	
452 में से	0.04
454 में से	0.07
455/1 में से	0.03
518 में से	0.05
517/1 में से	0.04
519/1 में से	0.04
योग . .	0.27
ग्राम-देवरान	
279 में से	0.05
280 में से	0.06
281 में से	0.04
325 में से	0.05
348 में से	0.06
योग . .	0.26
कुल योग . .	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर, दमोह कार्य के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेन्ट कार्यो. सागर, तहसील परिसर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-10-11-2004.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 का के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) ग्राम—कोरासा, पड़रिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.30, 0.22=0.52 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहण किये जाने वाला रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम-कोरासा	
78 में से	0.02
95 में से	0.13
277 में से	0.01
278 में से	0.05
279 में से	0.04
281/1 में से	0.05
योग . .	0.30
ग्राम-पड़रिया	
126 में से	0.03
137 में से	0.02
136/1 में से	0.01
138/2 में से	0.01
139 में से	0.01
194 में से	0.14
योग . .	0.22
कुल योग . .	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर, दमोह कार्य के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेन्ट कार्यो. सागर, तहसील परिसर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 जुलाई 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—नौगांव
(ग) ग्राम—सिंहपुर, प.ह.नं. 69
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —1.500 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1653/1	0.240
1654/1	0.050
1685/1	0.184
1686/1	0.246
1745/1	0.311
1745/2	0.076
1745/3	0.076
1745/4	0.052
1745/5	0.052
1745/6	0.052

(1)	(2)
1748/1	0.032
1748/2	0.068
1748/3	0.032
1748/4	0.020
1748/5	0.009
योग . .	1.500

1586/1 म.प्र. शासन आबादी (मकान)

1.	नत्थू पिता हल्का ढीमर	29.45 वर्ग मी. (खपरैल)
2.	मनप्यारे पिता नत्थू ढीमर	43.80 वर्ग मी. (खपरैल)
3.	मइयादीन पिता नत्थू	61.25 वर्ग मी. (खपरैल)
4.	रामचरन पिता मुलुवा काछी	71.55 वर्ग मी. (खपरैल)
5.	काशीराम पिता लच्छू काछी	25.56 वर्ग मी. (खपरैल)
6.	हर प्रसाद पिता लच्छू काछी	18.36 वर्ग मी. (खपरैल)
7.	अर्जुन पिता मुलुवा काछी	17.82 वर्ग मी. (खपरैल)
8.	नन्दी पिता गनेशा काछी	22.10 वर्ग मी. (खपरैल)
9.	हल्काई पिता मुलुवा काछी	48.30 वर्ग मी. (खपरैल)
10.	जागेश्वर पिता किशना बसोर	16.32 वर्ग मी. (पक्का)
11.	किशना पिता सरजू बसोर	50.40 वर्ग मी. (खपरैल)
12.	मदन पिता बाबू लाल बसोर	25.92 वर्ग मी. (खपरैल)
13.	मातादीन पिता सरजू बसोर	23.36 (खपरैल) +29.355 वर्ग मी. (पक्का).
14.	कल्लू, हर प्रसाद लोकनाथ, गौरीशंकर पिता नन्दी बसोर.	60.00 वर्ग मी. (खपरैल)
	योग . .	543.545 वर्ग मी.

(2) सिंहपुर बैराज परियोजना के नाला डायवर्सन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नौगांव में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. 1126-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—ममदर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.62 हेक्टर.

झलवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
1226	0.10
1248	0.22
1262	0.12
1263	0.02
1266/1, 1266/2, 1266/3, 1266/4	0.02
1269	0.20
1274	0.12
1275	0.15
1285	0.08
1301/1, 1301/2	0.09
1302	0.14
1304	0.08
1305	0.10
1341	0.02
1342	0.16
योग(अ) . .	1.62
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण	
निरंक	निरंक
योग(ब) . .	—
महायोग (अ+ब) . .	1.62

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा	1.62 हेक्टर
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा	निरंक
प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा	1.62 हेक्टर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1128-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—साड़ा (शिवराजपुर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.11 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
485/2	0.07
1762	0.04
योग(अ) . .	0.11
(ब) शासकीय भूमि का विवरण निल	
निरंक	निरंक
योग(ब) . .	—
महायोग (अ+ब) . .	0.11

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा = 0.11 हेक्टर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा = निरंक
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा = 0.11 हेक्टर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1130-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—झलवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.43 हेक्टर.

झलवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
1/1, 1/2, 1/3	0.14
6/1, 6/2	0.07
7	0.07
8	0.02
9	0.02
13	0.07
14	0.08
15	0.05
16	0.06
52	0.08
53	0.08
61	0.02
62	0.04
63	0.03
64	0.03
65	0.02
66	0.02

(1)	(2)
67	0.02
87	0.02
88	0.05
89	0.05
91	0.06
92	0.01
94	0.02
95	0.07
96	0.07
126	0.08
134	0.06
135	0.05
136	0.01
233	0.01
234	0.03
237	0.06
238	0.07
240	0.03
244	0.07
256/1, 256/2, 256/3 256/4, 256/5	0.07
263	0.02
264/1, 264/2	0.06
267	0.07
269	0.04
270	0.06
272	0.01
275	0.02
276	0.07
283	0.06
283/973	0.08
294	0.08
295	0.03
305/1, 305/2	0.06
306	0.07
310	0.05
311	0.07
312	0.10
313	0.06
314	0.12
315	0.03
316	0.08
773	0.06
776/1, 776/2, 776/3	0.10
777	0.13
778	0.01
779	0.14
780	0.05
781/1, 781/2, 781/3	0.13
788	0.03
789	0.03
790	0.03
791	0.05
794	0.02
795/1, 795/2	0.10
834/2	0.01
835	0.05
836/1	0.07
836/2	0.01
837	0.06
838	0.04
839/1, 839/2	0.06
860	0.01
862	0.06
864	0.10
योग(अ) . .	4.40

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण

286	0.03
योग(ब) . .	0.03
महायोग (अ+ब) . .	4.43

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 4.40 हेक्टर
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा 0.03 हेक्टर
प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा = 4.43 हेक्टर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 7 जुलाई 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम का नाम—डोकरिया, प.ह.नं. 30/286
(घ) लगभग क्षेत्रफल—198.620 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
327	1.750
328	3.780
333	0.690
338	2.880
341	0.650
342	0.980
345	3.690
347	0.510
359	7.660
363	0.490
366	0.020
367	0.230
368	0.310
370	0.400
372	1.630
373	0.920
374	0.720
376	0.080
377	0.500
378	0.610
379	0.760
382	0.130
385	1.620
388	1.040
389	1.210
390	0.890
394	2.020
395	0.830
398	0.420
401	0.540
402	0.270
403	0.570
404	0.220
406	0.170
425	0.800
426	0.240
427	0.370
431	1.410
432	0.530
1057	2.320
1058	0.830
1059	0.700
1060	0.490
1061	0.470
1070	0.880
1071	1.340
1193	0.980
1194	1.790
1195	2.560
1196	0.230
1197	0.430
1199	0.930
1201	0.770
1202	0.690
1203	0.400
1204	0.490
1205	0.920
1207	0.700
1209	0.750
1211	0.790
1212	1.360
1214	0.480
1221	0.610
1236	2.730
1237	0.150

(1)	(2)
1239	0.840
1240	0.210
1242	1.100
1243	1.640
1244	1.890
1285	0.240
1286	0.470
1287	0.440
1295	0.780
1296	0.590
1300	0.640
1055/1	1.090
1055/2	0.200
1056/1	0.450
1056/2	0.120
1072/1	1.510
1072/2	1.050
1072/3	1.510
1187/1	0.740
1187/2	0.710
1187/3	1.000
1187/4	2.000
1187/6	0.800
1187/7	2.460
1187/8	0.800
1192/1 में से	0.330
1192/2	0.080
1192/3	0.080
1192/4	0.400
1192/5	0.080
1192/6	0.100
1192/7	0.220
1192/8	0.240
1198/1	0.180
1198/2	0.210
1198/3	0.360
1206/2	0.200
1208/1	0.400
1208/2	0.300
1208/3	0.700
1208/4	0.710
1210/1	0.400
1210/2	0.400
1210/3	0.400
1213/1	0.420
1213/2	1.000
1215/1	0.450
1215/2	0.440
1216/2	0.320
1217/1	0.490
1217/2	1.590
1217/3	0.330
1217/4	0.450
1218/1	0.780
1218/3	0.780
1219/11	0.400
1219/12	0.400
1219/13	0.200
1219/4	0.090
1219/5	0.120
1219/6	0.050
1224/1	0.170
1224/10	0.440
1224/11	0.450
1224/12	0.450
1224/13	0.440
1224/14	0.340
1224/15	0.310
1224/16	0.320
1224/17	0.330
1224/2	0.170
1224/3	0.180
1224/4	0.170
1224/5	0.260
1224/6	0.270
1224/7	0.260
1224/8	0.260
1224/9	0.120
1227/1	1.250
1227/2	1.240
1227/3	1.240
1232/1	0.570
1232/2	0.120
1232/3	0.970
1232/4	0.380
1232/5	0.340
1232/6	0.190
1232/7	0.400

(1)	(2)
1233/1	0.590
1233/2	0.090
1233/3	0.170
1233/4	2.110
1233/5	0.200
1233/6	0.080
1238/1	0.630
1238/2	0.630
1238/3	0.310
1238/4	0.320
1241/1	0.400
1241/2	0.310
1245/1	0.820
1245/2	0.900
1245/3	0.860
1245/4	0.850
1246/3	2.410
1247/1	0.160
1247/10	0.230
1247/11	0.670
1247/12	0.660
1247/13	0.670
1247/2	0.160
1247/3	0.150
1247/4	0.140
1247/5	0.140
1247/6	0.140
1247/7	0.200
1247/8	0.200
1247/9	0.210
1250/3	0.910
1250/4	1.090
1250/5	0.500
1252/3	0.290
1253/1	0.380
1253/2	0.380
1253/3	0.380
1254/1	0.230
1255/1	0.340
1255/2	0.340
1255/3	0.340
1257/2	0.460
1258/1	1.000
1258/12	1.980
1258/13	1.040
1258/15	1.220
1258/6	1.100
1258/7	1.270
1258/9	1.000
1259/2	0.350
1259/3	0.360
1289/1	0.800
1289/2	0.640
1289/3	0.780
1289/4	1.000
1298/1	0.390
1298/2	0.240
1301/1	1.130
326/1 में से	3.670
326/2	1.200
329/1	0.250
329/2	0.250
332/1	0.170
332/2	0.170
332/3	0.200
332/4	0.260
334/1	0.480
334/2	0.670
334/3	0.160
334/4	0.240
336/1	0.250
336/10	0.080
336/2	0.180
336/3	0.120
336/4	0.090
336/5	0.100
336/6	0.110
336/7	0.120
336/8	0.070
336/9	0.080
339/1	0.130
339/2	0.170
354/2	1.300
355/2	0.090
356/1	1.150
356/2	0.770

(1)	(2)
356/4	1.150
358/1	0.070
358/2	0.500
360/1	6.740
360/2	1.200
360/3	0.800
361/1	0.760
361/2	0.760
361/3	1.140
361/4	0.760
361/5	0.380
362/2	1.200
365/1	0.400
365/2	0.700
369/1	1.320
369/3	0.600
380/1	0.410
391/1	0.610
391/2	0.400
392/1	0.340
392/2	0.340
392/3	0.330
397/1	1.880
400/1	0.200
400/2	0.340
422/1	0.210
424/2	0.180
428/1	0.820
428/2	0.400
435/1	2.490
435/2	2.480
381 में से	2.790
387/1	0.340
371/1	1.350
योग . .	198.620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयराघवगढ़/बरही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी

(ख) तहसील—बरही

(ग) ग्राम का नाम—बुजबुजा, प.ह.नं. 08/288

(घ) लगभग क्षेत्रफल—125.980 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	1.110
4	0.500
5	2.170
9	0.820
12	0.270
13	1.200
14	0.830
16	0.360
19	0.350
21	0.780
22	0.250
23	0.130
24	0.450
25/1	0.340
25/2	0.340
26	0.590
27	1.600
28	0.100
29	0.220
30	3.670
32	0.810
35	0.910
36	1.340
37	1.410
38	0.240
39	0.250

(1)	(2)
42	1.370
43	4.870
49	0.820
51/1	0.360
51/2	0.240
51/3	0.240
54/1	0.230
54/2	0.220
55	0.440
56	1.610
57	1.700
59	0.900
60	0.860
61	0.060
62	0.060
64	0.130
65	0.130
68	0.550
69/1	0.490
69/2	0.490
72	0.120
73	0.190
74	0.170
75	0.150
76	0.160
77	0.400
78	0.850
79	0.600
81	0.800
82	0.820
84	1.530
86	1.370
87/1	0.360
87/2	0.360
88/1	0.700
89	0.920
90	5.370
91	0.140
93	0.330
94	1.290
99	4.130
100	0.440
102	3.540
103/1	0.600
103/2	0.600
103/3	0.100
103/4	0.100
103/5	0.160
103/6	0.160
103/7	0.400
103/8	0.400
104	0.820
114	0.850
115	2.750
118	0.230
119	0.760
141	0.930
142	0.230
149/1	0.340
149/2	0.350
151	1.240
154	0.310
990	1.370
995	0.840
996	0.340
997	0.420
999	0.720
1000	0.470
1001	4.020
1003	0.200
1004	0.660
1009	1.200
1010	1.100
1011	0.650
1012	0.570
10/1	0.070
10/2	0.400
10/3	0.400
1002/1	0.290
1002/2	0.290
1007/1	1.000
1007/2	0.400

(1)	(2)
1007/3	0.290
1007/4	0.400
1008/1	1.170
1008/2	1.170
101/1	0.380
101/2	0.860
101/3	0.100
101/4	0.100
101/5	0.710
101/6	0.570
101/7	0.340
116/1	0.670
120/1	0.030
120/2	0.040
120/3	0.160
123/1	0.140
123/2	0.560
123/3	0.430
148/2	0.400
15/1	0.420
15/2	0.440
150/1	0.310
150/2	0.670
152/2	1.550
17/1	0.040
17/2	0.480
18/1	0.050
18/3	0.370
33/2	1.750
34/1	0.050
34/2	1.000
41/2	0.500
41/3	0.500
47/1	0.550
48/1	0.820
52/1	0.200
52/2	0.200
53/1	0.430
53/2	0.140
58/2	0.300
6/1	1.190
6/2	0.400
7/2	0.060
8/2	1.120
63/1	0.090
63/2	0.040
66/1	0.150
66/2	0.060
67/1 क	1.530
67/1 ख	0.400
67/2 क	0.150
67/2 ख	0.150
80/1	0.430
80/2	0.420
83/1	0.600
83/2	0.600
92/1	0.610
92/2	0.080
95/1	2.160
95/4	0.240
96/1	0.260
96/2	0.250
97/1	1.600
97/2	0.360
98/1	0.880
98/2	0.980
98/3	0.100
993/1	0.720
993/2	0.280
994/1	1.690
994/2	0.400
994/3	0.400
योग . .	125.980

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयराघवगढ़/बरही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सैलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 जुलाई 2011

प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	सतना	4.550	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	बसारी	4.680	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	बरेठी	491.250	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	सांदनी	456.334	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

क्र. 96-प्रवा.-भू-अर्जन-2011 कटनी, दिनांक 8 जुलाई 2011

करारनामा

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 8-7-2011 को मेसर्स वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय वेलस्पन हाउस, ट्रेड वर्ल्ड, नौवां माला, कमला सिटी, सेनापति वापट मार्ग, लोवर परेल, (पश्चिम) मुम्बई 400013 महाराष्ट्र द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री जय शुक्ला, सहायक उपाध्यक्ष (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, कटनी, (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) जिला कटनी, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-31/2010/सात/2-ए, भोपाल, दिनांक 11-3-2011 के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.

मेसर्स वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड

वेलस्पन हाउस, ट्रेड वर्ल्ड, नौवॉ माला, कमला सिटी, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, (पश्चिम) मुम्बई 400013 महाराष्ट्र द्वारा सहायक उपाध्यक्ष श्री जय शुक्ला

प्रथम पक्ष

एवं

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा कटनी जिले में 660×3 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हेतु तहसील विजयराघवगढ़ एवं बरही जिला कटनी स्थित ग्राम डोकरिया में 198.620 हे. एवं ग्राम बुजबुजा में 125.980 हे. कुल रकबा 324.600 हे. निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध (करारनामा) किया जा रहा है.

1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित राशि रुपये 209148290 मात्र कम्पनी द्वारा जमा की गई है. एवार्ड पारित होने के पूर्व एवार्ड की अन्तर की राशि कम्पनी द्वारा शासकीय कोष में जमा करनी होगी. एवार्ड की अन्तर की राशि जमा होने के उपरांत ही भूमि कम्पनी के नाम हस्तांतरण की जावेगी.

2. कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्र. एफ-12-31/2010/सात/2ए, भोपाल, दिनांक 11-3-2011 के बिन्दू क्र. 3 के पालन में 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय हेतु राशि 20914829 रुपये जमा की गई है. एवार्ड पारित होने पर अन्तर की शेष राशि कम्पनी द्वारा जमा करनी होगी.

3. कम्पनी मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्र. एफ-12-31/2010/सात/2ए, भोपाल, दिनांक 11-3-2011 द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य होगी एवं उन शर्तों को इस अनुबंध का भाग माना जायेगा.

4. मध्यप्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित पुनर्वास नीति का पालन कम्पनी द्वारा किया जावेगा एवं शासन द्वारा निर्धारित पुनर्वास नीति को इस अनुबंध का भाग माना जावेगा.

5. वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड की परियोजना से 660×3 मेगावाट में से मध्यप्रदेश राज्य को बिजली प्रदेय के संबंध में ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के साथ दिनांक 24-11-2009 को किए गये मेमो. आफ अंडरस्टेडिंग के अनुसार कार्यवाही की जावेगी. उक्त अनुबंध इस करार का अभिन्न अंग होकर प्रपत्र "अ" के रूप में संलग्न है.

6. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

7. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

9. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन कृषकों के खाते से कम से कम एक सदस्य को कम्पनी में आदर्श पुनर्वास नीति 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिए वचनबद्ध होगी.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. 'धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत' परन्तु कम्पनी को परियोजना के निर्माण/विकास के लिए पट्टे पर देने, ऋण प्राप्त करने अथवा ऋणदाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बंधक रखने की पात्रता समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी देने से करने के सिवाय, करने का अधिकार न होगा.

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधी विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

14. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियों अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा.

16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा 'धारा 44 ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत' समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी देने से करने के सिवाय न तो किसी व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराए पर दिया जावेगा.

17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

18. शासन के प्रतिनिधियों या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जावेगा.

20. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर एवं वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड के मध्य चर्चानुसार किया जावेगा.

21. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.

22. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

23. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

24. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति लागू होगी जिसके अधीन कम्पनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापना की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे लागू किये जावेंगे.

25. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके खाते में कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

26. संबंधित कम्पनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाएगा.

27. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

28. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

यह करारनामा आज दिनांक 8-7-2011 को समक्ष गवाहान अपनी स्वतंत्र इंद्रियों से, बिना किसी जोर-दवाब के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.

हस्ता./-
(जय शुक्ला)
सहायक उपाध्यक्ष (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड

हस्ता./-
(एम. सेलवेन्द्रन)
कलेक्टर,
जिला कटनी, मध्यप्रदेश.

गवाह :—

1. हस्ता./-
(धवल सोमण)
उप महाप्रबंधक, वेलस्पन एनर्जी लि.

2. हस्ता./-
(आर. आर. बाथम)
अपर कलेक्टर
जिला कटनी (म.प्र.).